

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : F 9(4) / Relaxation/ SJED/2024 19642
आदेश

दिनांक : 8-5-2024

विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) क्रमांक एफ 9(4) छात्रवृत्ति /मार्गदर्शन/सान्याअवि/22-23/00003/6670 दिनांक 31.08.2023 के बिन्दु सं 4.16 में आंशिक शिथिलता प्रदान कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु मासिक बायोमैट्रिक उपस्थिति के स्थान पर पूर्ण सत्र में विद्यार्थी की न्यूनतम एक आधार बेसड ऑनलाईन बायोमैट्रिक उपस्थिति को मान्य कर विद्यार्थी के आवेदन पत्र को संस्थान स्तर से विभाग को अग्रोषित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मुन्नी मीना)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

क्रमांक : F 9(4) / Relaxation/ SJED/2024 19643-250
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

दिनांक : 8-5-2024

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
18. संयुक्त निदेशक (आई. टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त) को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार आपके जिले में स्थित शिक्षण संस्थानों को उक्त आदेश से अवगत कराकर नियमानुसार छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
22. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7035819

Document certified by MUNNI MEENA
<munnimeena50@gmail.com>

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
Meena

Designation: Additional Director
Date :08-05-2024 03:51:16